<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 42/2021 **दायर दिनांकः 13.09.2021**

उनवान

1. रामगोपाल उर्फ गोपाल पुत्र अर्जुनलाल जाति मीणा निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. लटुरी उर्फ लक्ष्मी बाई पुत्री अर्जुनलाल जाति मीणा निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां राज0।
3. सुरेश उर्फ लेखराज पुत्र अर्जुनलाल जाति मीणा निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां राज0।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट</u>

उपस्थिति :—

प्रार्थी :—विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।

आदेश दिनाकः 06/10/2021

पत्रावली पेश हुई। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी ग्राम एवं माल खुरी तहसील अटरू में खाता संख्या 208 का ख0नं0 282 का रकबा 2.25 है0, ख0नं0 285 का रकबा 2.03 है0 किता 2 का रकबा 4.28 है0 भूमि स्थित दर्ज चली आ रही है जिसमें प्रार्थीग[illegible]स्सा 1/21—1/21 दर्ज खाता चला आ रहा है। नकल जमाबन्दी संलग्न है जो काबिले गौर [illegible] प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थी कम 1 रामगोपाल का नाम गोपाल तथा लक्ष्मीबाई का नाम लटुरी [illegible] लेखराज का नाम सुरेश गलती से पटवारी हल्का ने नामान्तरण दर्ज करने वक्त दर्ज कर दिया है। जिससे प्रार्थीगण को ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है तथा भूमि का विकास भी नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2022.03.16 14:25:16 IST
Reason: SelfAttested

करवा पा रहे हे। जिसे प्रार्थीगण अपने एवं अपने पिता के नाम को अर्जुन के बजाय अर्जुनलाल दुरूस्त करवाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का अधिकारी है। प्रार्थीगण ने दिनांक 07.09. 2021 को श्रीमान तहसीलदार साहब से राजस्व रिकार्ड में हो रही त्रुटि को दुरूस्त करने का निवेदन किया तो श्रीमान तहसीलदार साहब ने माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करने की हिदायत दी। इसलिए माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र पेश करने की हिदायत दी। इसलिए माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीगण के आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आई डी एवं बैंक खातों में तथा पंजीकृत दस्तावेज में प्रार्थी क्रम 1 का नाम रामगोपाल, प्रार्थी क्रम 2 का नाम लक्ष्मी बाई व प्रार्थी क्रम 3 का नाम लेखराज दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थीगण इस अनुसार प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित भूमि में हो रही त्रुटियों को दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। बिना सहायता न्यायालय राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाया जाना संभव नहीं है। अस्तु माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होने से उसे अप्रार्थी बनाया गया है। आराजी ग्राम खुरी तह0 अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र राजस्थान टीनेंसी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं प्रार्थना पत्र उचित न्यायशुल्क एवं अवधि मध्य पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थी क्रम 1 का नाम रामगोपाल उर्फ गोपाल, प्रार्थी क्रम 2 का नाम लक्ष्मी बाई उर्फ लटुरी व प्रार्थी क्रम 3 का नाम लेखराज उर्फ सुरेश तथा पिता का नाम अर्जुनलाल बाद दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नही होने के कारण एक तरफा कार्यवाही की गई। साक्ष्यवादी के अन्तर्गत pw1 का शपथ पत्र पेश किया गया। अभिभाषक प्रार्थीगण की एक तरफा बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थी क्रम 1 का नाम रामगोपाल उर्फ गोपाल, प्रार्थी क्रम 2 का नाम लक्ष्मी बाई उर्फ लटुरी व प्रार्थी क्रम 3 का नाम लेखराज उर्फ सुरेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2022.03.16 14:25:16 IST
Reason: SelfAttested

तथा पिता का नाम अर्जुनलाल बाद दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी संवत् 2074—2077 अनुसार ग्राम खुरी की खाता सं0 208 किता 2 रकबा 4.28 है0 भूमि शामलाती खाते में गोपाल पुत्र अर्जुन, लटुरी पुत्री अर्जुन, सुरेश पुत्र अर्जुन हिस्सा 1/21— 1/21 दर्ज है। अन्य प्रस्तुत रिकार्ड आधार कार्ड, आयकर विभाग का पेन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में प्रार्थी क्रम 1 का नाम रामगोपाल पुत्र अर्जुनलाल, राशन कार्ड व बैक पासबुक भारतीय स्टेट बैंक, अटरू में प्रार्थी क्रम 1 का नाम राम गोपाल मीणा पुत्र अर्जुन लाल दर्ज है। मतदाता पहचान पत्र, बैक पासबुक भारतीय स्टेट बैंक, अटरू, राशन कार्ड में प्रार्थी क्रम 2 का नाम लेखराज पुत्र अर्जुन दर्ज है तथा आधार कार्ड, आयकर विभाग के पेन कार्ड में प्रार्थी क्रम 2 का नाम लेखराज मीणा पुत्र अर्जुन लाल दर्ज है। आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड में प्रार्थी क्रम 3 का नाम लक्ष्मी बाई दर्ज है। ग्राम पंचायत खुरी के प्रमाण पत्र दिनांक 08.09.2021 के अनुसार गोपाल उर्फ रामगोपाल पुत्र अर्जुनलाल, लटूरी उर्फ लक्ष्मी बाई पुत्री अर्जुनलाल, सुरेश उर्फ लेखराज पुत्र अर्जुनलाल ग्राम खुरी के निवासी है।

अतः रिकार्ड व साक्ष्य के आधार पर न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल खुरी तहसील अटरू में खाता संख्या 208 का ख0नं0 282 का रकबा 2.25 है0, ख0नं0 285 का रकबा 2.03 है0 किता 2 का रकबा 4.28 है0 भूमि में सहखातेदार प्रार्थी क्रम 1 का नाम गोपाल के स्थान पर रामगोपाल उर्फ गोपाल, प्रार्थी क्रम 2 का नाम लटुरी के स्थान लक्ष्मी बाई उर्फ लटुरी व प्रार्थी क्रम 3 का नाम सुरेश के स्थान पर लेखराज उर्फ सुरेश तथा पिता का नाम अर्जुन के स्थान पर अर्जुनलाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश किये जाते है।

तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2022.03.16 14:25:16 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां